राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. 2292/2011/जयपुर

मैंसर्स महान फूड्स लिमिटेड, 177, इन्द्र कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर .....**अपीलार्थी**

बनाम्

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त–द्वितीय, जयपुर .....**प्रत्यर्थी**

एकलपीठ

मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक। ..... **अपीलार्थी की ओर से.**

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। ..... **प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 18.02.2016

निर्णय

अपीलकर्त्ता ने यह अपील, उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील सं. 256/आर.वेट/जी/स्पे.II /10–11 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–सप्तम्, जयपुर द्वारा दिनांक 25.06.2010 को किया गया था। जांच पश्चात् पत्रावली उपायुक्त (प्रशासन) द्वितीय, जयपुर के आदेश क्रमांक 17339 दिनांक 29.06.2010 की अनुपालना में धारा 37(4) रा.मू.प.क.अ., 2003 के तहत् निर्णित किये जाने हेतु सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–द्वितीय, जयपुर को स्थानांतरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर वक्त सर्वे गोदाम पर अधिक माल पाये जाने का कारण पूछा गया। नोटिस के जवाब में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत उत्तर से असंतुष्ट होते हुए सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) ने आदेश दिनांक 05.08.2010 में अधिक पाये गये माल पर 1,27,756/–रूपये की शास्ति आरोपित की।
2. अपीलार्थी ने प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की एवं लिखा कि अपीलार्थी फर्म एक लिमिटेड कम्पनी है। जिसका कार्यालय (व्यवसाय स्थल) 177, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर है तथा गोदाम एफ. 94, रोड़ नं. 6, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। माल की बिक्री हेतु इन्वायस ऑफिस से जारी कर गोदाम को भेजी जाती है। जहां से स्टॉक रजिस्टर में विक्रित माल को स्टॉक में से कम कर सम्बन्धित क्रेता को डिस्पेंच किया जाता है। वक्त सर्वे कुछ

लगातार.....2

माल स्टॉक से तो कम कर दिया गया था। परन्तु परिवहन की व्यवस्था नहीं होने से क्रेता को प्रेषित नहीं किया जा सका। अप्रेषित माल बाबत् स्टॉक रजिस्टर में **"डिलीवरी शेष का नोट"** अंकित कर दिया गया था। क्रेता फर्मों के वास्तविक होने, पूर्व में भी माल प्रेषण किये जाने के तथ्य प्रस्तुत किये गये। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के तर्कों को सन्तोषजनक नहीं माना एवं सशक्त अधिकारी के निर्णय को यथावत रखा।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह, उपराजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी ने बहस में कहा कि सशक्त अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.06.2010 से 30.06.2010 तक विक्रय किये गये माल एवं उस पर वसूल कर का विवरण प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त विवरण में भी उक्त 4 फर्मों का दिनांक 24.06.2010 को माल विक्रय कर, कर वसूल करने का उल्लेख है। वस्तुतः बिल काटने के पश्चात् स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक घटा कर अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गयी थी। परन्तु भौतिक रूप से माल का लदान शेष था। अतः अपीलार्थी फर्म की कर चोरी की कोई मन्सा नहीं थी। अपील स्वीकार कर शास्ति अपास्त की जावें। अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के निर्णय का समर्थन किया एवं अपील निरस्त करने का अनुरोध किया।

4. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी फर्म ने प्रस्तुत रेकॉर्ड में अधिक पाये गये माल का विक्रय करना, इन्वॉयस जारी करना एवं तद्नुसार स्टॉक में से कम करना स्वीकार किया है। बिलों की दिनांक 24.06.2010 है तथा सर्वे दिनांक 25.06.2010 को किया गया है। फर्द सर्वे में इस बात का स्पष्टतः उल्लेख है कि अधिक पाये गये 475 मिलीलिटर के 150 नग, 950 मिलीलीटर के 1138 नग एवं 4750 मिलीलिटर के 6 नगों की कुल फर्मों को डिलीवरी देना शेष है। बिलों का मिलान किये जाने पर भी उक्त 4 फर्मों के बिल कटे हुए पाये गये, माल स्टॉक से कम किया हुआ था। परन्तु भौतिक रूप से प्रेषित नहीं हो पाने से गोदाम में ही पड़ा था। स्टॉक रजि., विक्रय रजि. व बिलों से इसका पूर्ण मिलान हो रहा है। फर्म ने विक्रय व्यवहार अवधि 01.06.2010 से 30.06.2010 में बिक्रित समस्त माल पर निर्धारित दर से विक्रय कर वसूला जाना प्रदर्शित कर रखा है। 4 फर्मों के बिलों पर "Pending" शब्द अंकित है। अतः अपीलार्थी फर्म की कर चोरी की मनोवृत्ति या प्रयास सिद्ध नहीं होता है।

तद्नुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 22.07.2011 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

18/02/16

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य